प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान नहीं बंद होंगे उद्योग धंधे

लखनऊ। प्रदेश में शनिवार व रविवार को लगने वाले कोरोना कर्फ्यू का असर औद्योगिक इकाइयों पर नहीं पड़ेगा। यहां काम करने वाले कामगार औद्योगिक इकाइयों से जारी अनुमति पत्र या परिचय पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान बड़ी औद्योगिक इकाइयों, सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति रहेगी। इस संबंध में मंडलायुक्तों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों से सभी औद्योगिक इकाइयों को सूचित करने को कहा गया है। ब्यूरो